

राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार" कैम्प 2015 ग्राम पंचायत दिवेर
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीम
(नरेन्द्र कुमार जैन पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)
कैम्प कोर्ट का स्थान :- ग्राम पंचायत दिवेर

प्रकरण सं.- 01/2015 प्रा.प्र.

निर्णय दिनांक- 01 जुलाई, 2015

1. श्री गोकुलसिंह पिता गोमसिंह जाति रावत निवासी दिवेर तहसील भीम

प्रार्थी

बनाम

1. श्री पोखरसिंह पिता प्रेमसिंह जाति रावत निवासी दिवेर तहसील भीम
2. श्री तेजसिंह पिता गजेसिंह जाति रावत निवासी दिवेर तहसील भीम
3. श्री हजारीसिंह पिता गजेसिंह जाति रावत निवासी दिवेर तहसील भीम
4. श्री नेनूसिंह पिता गोमसिंह जाति रावत निवासी दिवेर तहसील भीम
5. श्री खीमसिंह पिता गोमसिंह जाति रावत निवासी दिवेर तहसील भीम

अप्रार्थीगण

**प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज. लेण्ड रेवेन्यु एक्ट
वास्ते कराये जाने पक्की पत्थरगढी**

यह कि मौजा दिवेर पटवार हल्का दिवेर तहसील भीम में निम्न विवरण वाली आराजी स्थित है:-

खसरा नं.	रकबा			किस्म
	बीघा	विस्वा	विस्वांसी	
2226	01	14	00	बंझड
2238	01	19	00	बारानी
2238/5954	01	06	00	बंझड
कुल किता 03 रकबा 04 बीघा 19 विस्वा 10 विस्वांसी				

उक्त भूमि के पडौस निम्न प्रकार है:-

पूर्व में:- स्वयं की भूमि


पश्चिम में :- पोखरसिंह पिता प्रेमसिंह का खेत

उत्तर में:- पोखरसिंह पिता प्रेमसिंह

दक्षिण :- तेजसिंह पिता गजेसिंह व हजारीसिंह पिता गजेसिंह का खेत

मौके पर अप्रार्थीगणों को अपनी जमीन की सीमा चिन्ह की जानकारी न होने की वजह से आये दिन पाली डोली को लेकर अक्सर विवाद बना रहता है तथा कई बार झगडा भी हो गया है। अभी एक माह पहले भी अंतिम बार अप्रार्थी संख्या 1 जो कि पश्चिम व उत्तर दिशा का पडौसी है के द्वारा झगडा भी किया गया है मेरे द्वारा सीमा चिन्ह की जानकारी भी करवाई उसके बाद भी नहीं मानने से यह पत्थरगढी प्रार्थना पत्र पेश कर पड रहा है।

अतः वादी का वाद प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2015 कैम्प दिवेर में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगणों को बाद समझाईश आपसी राजीनामे से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। उपरोक्त वर्णित आराजियात का दोनो पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी कराये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार भीम को लिखा जावे कि प्रार्थी से नियमानुसार शुल्क जमा करा उक्त विवादित भूमि की पत्थरगढी करा पालना से अवगत करावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।


पीठासीन अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी, को
जिला - राजसमन्त